



## कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2022/

दिनांक :- 102/2022

--:- विज्ञप्ति --:-

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24/2/2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु न्यास में विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस में न्यास कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	खसरा सं० / ग्राम का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	भूखण्ड सं 6 योजना श्रीराम कालोनी ग्राम रामचन्द्रपुरा (खसरा सं० 399)	आवासीय	व्यवसायिक	437.73

सु-  
सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2022/ 83-84  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 8 102/2022

- 1- अति. मुख्य अभियन्ता/उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/रूपान्तरण शाखा/विधि शाखा को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति की निर्धारित अवधि में अगर कोई आपत्ति प्राप्त होती है अथवा आपको कोई आपत्ति है, तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जावेगा कि आपकी शाखा में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं आपको कोई आपत्ति नहीं है।
- 2- श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी 5/47, सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड़, कोटा (राज0) को प्रेषित कर लेख है, कि उक्त विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर व एक विज्ञप्ति किसी अन्य राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर समाचार-पत्र की कटिंगें प्रस्तुत करें।
- 3- अतिरिक्त निजी सचिव अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा को सूचनार्थ।
- 4- निजी सहायक सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा को सूचनार्थ।
- 5- कम्प्यूटर शाखा।

सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा